कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं0 663

अन्तर्गत धारा 111–128 आरटीएर

निर्णय दिनांक– 21-06-18

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री हकरी पि० रूपा

जाति भील उम्र वयस्क नि0 नयागांव फला तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत भटवाड़ा दिनांक 21-06-18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा नयागांव फला पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं0 378/280 कुल 2 बीघा. .... बिस्वा किता 1 योग रकबा 2 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेंड, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते है और लड़ाई झगड़ा करते है। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी रमेश पि० लिंगा नि0 नयागांव फला ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम नयागांव फला के खसरा नं0 379/280 रकबा 2 बीघा .... बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 2 बिस्वा की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नही किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा नयागांव फला में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं0 378/280 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बिस्वा की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा नयागांव फला में स्थित खाता संख्या 46 पर आराजी नं0 378/280 रकबा 2 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 2 बिस्वा विवादग्रस्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू0अ0 निरीक्षक भटवाड़ा .... के नैतृत्व में टीम गठित कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू0 900/- प्रार्थी स्वंय राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर